न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय सर्किट कोर्ट रीवा राजस्व मण्डल ग्वालियर

R 5080-II/17

1— शिवशंकर प्रसाद द्विवेदी उम्र 59 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम धरी तह0 सेमरिया हाल मुकाम दियापीपर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

2— घनश्याम प्रसाद द्विवेदी उम्र 58 वर्ष, पेशा कृषिकार्य साकिम धरी तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

दोनो के पिता स्व0 इन्द्रमणि प्रसाद द्विवेदी साकिम धरी पो0 खड्डा तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) ————**निगरानीकर्तागण/आवेदकगण**

बनाम

1— भैयालाल उर्फ चक्रधर प्रसाद द्विवेदी तनय स्व0 दामोदर प्रसाद द्विवेदी साकिम धरी पो0 खड्डा तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

————**गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से श्री राज कुमार मिश्रा एड. द्वारा पेश। 22.2.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध राजस्व प्रकरण क्र0 7अ12/16—17 आदेश दिनांक 31.12.16 रा0नि0 शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50—32 म0प्र0 भू0रा0संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधार बिन्दुओं अन्तर्गत प्रस्तुत है:—

1— यह कि आवेदित आराजी 337 जुमला रकवा 0.078 हे0 वर्तमान समय में आराजी नं0 337/1, 337/2, 337/3 जिनका रकवा क्रमशः 0.026हे0 है। जिस पर निगरानीकर्तागण एवं सगे भाई राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी आपसी हिस्सा विभाजन कर आबाद होकर तार बाड़ी लगाकर काबिज कास्त रहे है।

2— यह कि आवेदित/निगरानीग्रस्त भूमियां 337 के बटांक है जिनका सीमांकन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5080–दो/17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राजकुमार मिश्रा उपस्थित होकर यह निगरानी राजस्व निरीक्षक शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 07/अ–12/2016–17 में आदेश दिनांक 31.12.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी 337 जुमला रकवा 0.078 है0 वर्तमान समय में आरजी न0 337/1, 337/2, 337/3 जिनका रकवा 0.026 है0 है। आवेदकगण सगे भाई है जिस पर तार बाडी लगाकर काबिज कास्त रहे है। आवेदक अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्तकारों को बिना सूचना दिये सीमांकन कराया है जो निरस्त योग्य है। अंत में निवेदन किया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.16 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से	

स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह बलहीन है कि सरहदी कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है जबकि सूचना पर पर घनश्याम के हस्ताक्षर तथा शिवशंकर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया जिसकी सूचना पत्र पर कोटबार द्वारा टीप अंकित की गई है। जिसका उल्लेख दिनांक 31.12.16 की आदेश पत्रिका में राजस्व निरीक्षक द्वारा लेख किया गया है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 07/अ—12/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 31.12.16 स्थिर रखा जाता है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य